



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए
02 शातिर नकबजन/चोर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से करीब 01 किलो 200 ग्राम
सफेद धातु के आभूषण, 08 तोले पीली धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त उपकरण व
वेषभूषा बदलने के लिये प्रयोग किये गये कपड़े बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.02.2025 को श्री सोमपाल सैनी पुत्र श्री चमनलाल निवासी मानकमऊ होली चौक थाना कुतुबशेर सहारनपुर की तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 02 मंगलसूत्र सोने के, 01 जोड़ी टोप्स कान के सोने के, 02 अंगूठी सोने की, 04 ओम सोने के, 01 टीका सोने का, 01 जोड़ी बाली सोने की, 05 जोड़ी पायल चाँदी की, 04 जोड़ी चुकटी चाँदी की, 21 सिक्के चाँदी के, 01 जोड़ी गोभी पाजेब चाँदी की, 02 चैन चाँदी की, 04 जोड़ी चुकटी चाँदी की पुरानी, 02 ढूंगे चाँदी के व 75 हजार रुपये नकद चोरी कर ले जाने का सूचना के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 305(A) बीएनएस बनाम अज्ञात तथा दिनांक 19.03.2025 को श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह निवासी म0नं0 3049/B ज्योति विहार निकट लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 30 हजार रुपये नकद, 02 जोड़ी चाँदी की पायल, 03 जोड़ी चुकटी, 01 जोड़ी कानों की बाली (सोने की), 01 नाक की नोज (सोने की), 01 मंगलसूत्र, 02 अंगूठी सोने की चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 305(A) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान उपरोक्त मुकदमों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर नकबजन अभियुक्तगण 1. सद्दाम उर्फ सददाम पुत्र वजीरा निवासी मौहल्ला इकराम कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर हाल पता किराये का मकान मौहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान वाले रास्ते से व 2. वाजिद पुत्र रोशन मौहल्ला नसीर कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मौहल्ला नसीर कालौनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर उपरोक्त दोनो घटनाओं चोरी किये गये सफेद व पीली धातु के आभूषण (सफेद धातु का सामान - 01 गले की चैन व 01 जोड़ी पैर की चुकटी, 02 जोड़ी पाजेब, 03 जोड़ी पायल, 08 जोड़ी चुकटी, 03 अंगूठी, 01 सैट हाथ का, 02 कड़े बच्चों के, 01 सैट हाथ का, 01 पायल बच्चे की, 01 हाथ का ब्रेस्लेट, 01 जोड़ी झुमके व 01 हाथ की घड़ी HMT, 07 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी हथ फूल, 25 चुटकी, 01 मर्दाना अंगूठी, 01 घड़ी हाथ की व पीली धातु का सामान - 02 गले का सैट, 01 गले का पैंडल, 01 गले का पैंडल छोटा, 01 माथे का टीका, 02 कानों के झुमके, 02 अंगूठी, 01 लौंग नाक की, 02 गले की चैन, 01 जोड़ी कुन्डल, 01 सैट कान की झुमकी, 01 लौंग नाक की, 03 लैडीज अंगूठी, 01 गले का पैंडल, 02 टोप्स, 02 मंगलसूत्र, व 03 ओम, 01 जोड़ी टोप्स, 01 टीका, 01 जोड़ी कान की बाली आदि सामान), चोरी करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण व वेशभूषा बदलने के लिए

घटनाओं में प्रयोग कपड़े आदि सामान बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछ – अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम लोग दिन में बन्द पड़े मकानो की रैंकी करके देख लेते है और मौका पाकर रात्रि में हम दोनो मकानों का ताला तोड़कर अन्दर जाकर घर रखे सोने व चांदी के जेवर व रूपये पैसे चोरी कर लेते है और आपस में बाट लेते है तथा पूछने पर बताया कि हम लोगो को तारीख तो याद नही है पर एक चोरी तो हम लोगो ने फरवरी के महीने में मानकमऊ में की थी तथा एक चोरी मार्च के महीने में लेबर कालोनी के पास ज्योति विहार में की थी। दोनो जगह से चोरी करने के बाद जो-जो सामान हम लोगो के हिस्से में आया था हम लोगो ने अपने-अपने घर छुपा दिया था और जो पैसे मिले थे उसको हम लोगो ने खाने पीने पर खर्च कर दिया और जरूरत पड़ने पर थोडा बहुत सामान बेचकर अपना काम चला लेते है। आज रात्रि में हम किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे कि आप लोगो ने हमे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सद्दाम उर्फ सददाम पुत्र वजीरा निवासी मौहल्ला इकराम कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर हाल पता किराये का मकान मौहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. वाजिद पुत्र रोशन निवासी मौहल्ला नसीर कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1- पीली धातू का सामान (02 गले का सैट, 01 गले का पैन्डल, 01 गले का पैन्डल छोटा, 01 माथे का टीका, 02 कानों के झुमके, 02 अगूठी, 01 लौंग नाक की, 02 गले की चैन, 01 जोड़ी कुन्डल, 01 सैट कान की झुमकी, 01 लौंग नाक की, 03 लैडीज अगूठी, 01 गले का पैन्डल, 02 टोप्स, 02 मंगलसूत्र, व 03 ओम, 01 जोड़ी टोप्स, 01 टीका, 01 जोड़ी कान की बाली)
- 2- सफेदे धातू का सामान (01 गले की चैन व 01 जोड़ी पैर की चुकटी, 02 जोड़ी पाजेब, 03 जोड़ी पायल, 08 जोड़ी चुकटी, 03 अगूठी, 01 सैट हाथ का, 02 कडे बच्चों के, 01 सैट हाथ का, 01 पायल बच्चे की, 01 हाथ का ब्रेस्लेट, 01 जोड़ी झुमके व 01 हाथ की घडी HMT, 07 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी हथ फूल, 25 चुटकी, 01 मर्दाना अगूठी, 01 घडी हाथ की)
- 3- चोरी करने के प्रयोग उपकरण (01 हथौडी , 01 पेचकश छोटा, 01 पेचकश बडा पीला, 01 पेचकश नीला बडा ,01 लोहे की राड , 01 प्लास , 01 लोहे की बडी सब्बल, 01 लोहे की गैतीं)
- 4- वेशभूषा बदलने के लिए घटना में प्रयोग कपड़े (01 कुर्ता हरे रंग का व 01 कुर्ता हल्का जामुनी रंग का, 01 टोपी जामुनी रंग की, 01 टोपी मेहदी रंग की, 01 टोपा हरे रंग का, 01 गला ढकने का स्कार्फ रंग हरा व काला एक गला ढकने का स्कार्फ रंग नीला व काला एक शर्ट नीली व सफेद चैकदार)

अभियुक्त सद्दाम उर्फ सददाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 194/16 धारा 201/302 भादवि थाना मंडी जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 307/16 धारा 174ए भादवि थाना मंडी जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 488/16 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 520/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 48/19 धारा 102/41 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना ननौता जनपद सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 383/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0 386/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ।

8. मु0अ0सं0 260/25 धारा 305ए बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
9. मु0अ0सं0 05/25 धारा 305ए बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
10. मु0अ0सं0 06/25 धारा 305ए बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
11. मु0अ0सं0 45/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
12. मु0अ0सं0 74/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त वाजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 260/25 धारा 305ए बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 05/25 धारा 305ए बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 06/25 धारा 305ए बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 45/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 74/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 12 अंकुश गोदरा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 559 सन्नी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 639 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. है0का 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
10. का0 272 संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
11. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक -15.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो/जामिनान की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त तनवीर उर्फ सोनू पुत्र सगीर नि0 नई बस्ती मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित मु0अ0सं0- 391/22 व वाद संख्या—615/23 धारा- 457/380/411 भादवि (माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर) में मौहल्ला महल कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

तनवीर उर्फ सोनू पुत्र सगीर निवासी नई बस्ती मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तनवीर उर्फ सोनू उपरोक्त—

1. मु0अ0सं0—455/15 धारा—379/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
2. मु0अ0सं0—391/15 धारा—380/411/457 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
3. मु0अ0सं0—622/18 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
4. मु0अ0सं0—342/2020 धारा—380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
5. मु0अ0सं0—412/2020 धारा - 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ननौता स0पुर।
6. मु0अ0सं0—026/24 धारा—34/380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
7. मु0अ0सं0—027/24 धारा—379/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
8. मु0अ0सं0—028/24 धारा—34/380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
9. मु0अ0सं0—052/24 धारा—2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री देवन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. म0का0 1537 प्रीती थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. पीआरडी सुनील कुमार थाना रामपुर मनि0 स0पुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत आयुद्ध अधिनियम से सम्बन्धित कुल 19 मुकदमों के माल के विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री गजेन्द्र कुमार नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर व श्री अशोक कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम की अध्यक्षता में श्री विकास कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में एवं प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री हृदय नारायण सिंह, हैड मोहरीर 468 सुरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर एवं श्री चौधरी सलीम पुत्र चौधरी हनीफ निवासी दाऊद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर (गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति) की उपस्थिति में आज दिनांक 14.05.2025 को आयुद्ध अधिनियम से सम्बन्धित कुल 19 मुकदमों के माल मुकदमाती (वर्ष 2021/2022/2023 के माल चाकू, तमंचे व कारतूस) को गठित कमेटी के समक्ष नियमानुसार तोड़कर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी। जिसकी फोटो एवं वीडियोग्राफी करायी गयी।

विनिष्टीकरण किये गये माल का विवरण: -

- 01 पुलिन्दे में 315 बोर का तमंचा, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 पुलिन्दे में 315 बोर का तमंचा, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 पुलिन्दे में 315 बोर का तमंचा, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 16 पुलिदो मे 16 अदद चाकू/छुरी

विनिष्टीकरण कराने वाली टीम के सदस्य-

1. श्री गजेन्द्र कुमार नगर मजिस्ट्रेट जनपद, सहारनपुर
2. श्री अशोक कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम जनपद सहारनपुर
3. श्री विकाश कुशवाह सहायक अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
4. श्री हृदय नारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर सहारनपुर .
5. हैड मोहरीर 468 सुरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. श्री चौधरी सलीम पुत्र चौधरी हनीफ निवासी दाऊद सराय थाना कुतुबशेर सहारनपुर (प्रतिष्ठित व्यक्ति)



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2025 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक **अभियुक्त राजकुमार उर्फ रिकू पुत्र मांगेराम निवासी उमाही राजपूत थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम तिलफरा चैक पोस्ट से आगे मोरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजकुमार उर्फ रिकू उपरोक्त द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ एक फोटो वायरल किया गया था। राजकुमार उर्फ रिकू उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 104/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। इसीलिए मैंने हाथ में तमंचा लेकर अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। यह तमंचा मैंने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम व पता नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजकुमार उर्फ रिकू पुत्र मांगेराम निवासी उमाही राजपूत थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमन्चा .315 बोर

02 जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 335 गौरव कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. का0 1459 विकास कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 15.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र केवल सिंह निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 56868/2021धारा 138 NI Act चालानी चालानी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर मा0 न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर को ग्राम तेलीपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ओमप्रकाश पुत्र केवल सिंह निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. कां0 2250 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. हो0गा0 1530 संजय राणा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस टीम द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 पच्चे

देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवैध शराब व नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.05.2025 को गश्त व चौकियों के दौरान अभियुक्त दिलशाद उर्फ काला पुत्र अय्यूब निवासी मालहा माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को नसरुल्लागढ रोड ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 50 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्त दिलशाद उर्फ काला उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ तथा नशे का आदी हूँ, मैं पैसों के लालच में हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में देशी शराब को खरीदकर अधिक दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दिलशाद उर्फ काला पुत्र अय्यूब निवासी मालहामाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 321/17 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम चालानी थाना गंगोह स0पुर
2. मु0अ0सं0 328/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ स0पुर
3. मु0अ0सं0 324/23 धारा 380, 411, 457 भादवि चालानी थाना नकुड़ स0पुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 50 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त निरीक्षक सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह मलिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 15.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मुकदमें में 01

वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.04.2025 को वादी श्री महेन्द्र बाबू गुप्ता सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त राहुल बेदी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन (बेदी ग्रुप) पुत्र स्व0 अनिल कुमार बेदी निवासी B/105 गोपाल नगर नुमाईस कैम्प थाना कोतवाली नगर हाल निवासी E/42 माधव नगर नियर काका हलवाई थाना कोतवाली नगर उम्र 42 वर्ष द्वारा अपने 100 अन्य कार्यकर्ताओं व ई-रिक्शा चालको के साथ मिलकर आरटीओ कार्यालय पर ई-रिक्शा के चालान माफ करने, ई-रिक्शा का किराया बढ़ाने व अन्य माँगों को लेकर सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया था आरटीओ कार्यालय पर जबरदस्ती ताला लगा दिया था, जिस कारण कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा व कार्य सरकार में भी बाधा उत्पन्न हुई, कार्यालय स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की करके धमकी देने आदि की सूचना के सम्बन्ध में दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 87/2025 धारा 191(2)/126(2)/121(2)/132/351(3) /115(2) बीएनएस व 7 क्रिमी लॉ एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित अभियुक्त राहुल बेदी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन (बेदी ग्रुप) पुत्र स्व0 अनिल कुमार बेदी निवासी B/105 गोपाल नगर नुमाईस कैम्प थाना कोतवाली नगर हाल निवासी E/42 माधव नगर नियर काका हलवाई थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को अम्बेडकर चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल बेदी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन (बेदी ग्रुप) पुत्र स्व0 अनिल कुमार बेदी निवासी B/105 गोपाल नगर नुमाईस कैम्प थाना कोतवाली नगर हाल निवासी E/42 माधव नगर नियर काका हलवाई थाना कोतवाली नगर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 19/25 धारा 132/289 बीएनएस थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 145/23 धारा 147/341/353/420/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 260/20 धारा 323/342/354/354ख/380/504/506 भादवि व 3(1)डी/3(1)घ/3(1)द एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 107/25 धारा 196/299/351(2)/353(2) बीएनएस थाना सिविल लाईन मु0नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. अति०निरी० श्री संजय कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री रनपाल सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है०का० 580 उस्मान अली, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. का० 2052 रोहित सैन, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक, 01 लाख रुपये नकद व 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सरफराज उर्फ भूरा पुत्र खुर्शीद नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर को अलीपुरा जाने वाले रास्ते पर बिजली घर के बरावर में ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सरफराज उर्फ भूरा उपरोक्त के कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक, 01 लाख रुपये नकद व 01 मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 162/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सरफराज उर्फ भूरा उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त सरफराज उर्फ भूरा उपरोक्त द्वारा पूछने पर बताया कि मैं स्मैक बेचने का काम करता हूँ तथा स्मैक का नशा भी करता हूँ तथा जो स्मैक मेरे पास से मिली है। मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था तथा यह जो रुपये आपको मेरी जेब से मिले हैं यह रुपये भी स्मैक की खरीद फरोख्त के ही हैं। मैं अपने गांव में भी स्मैक बेचता हूँ 08/02/2025 को जुनैद पुत्र असद नि0 ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर मुझे 50 ग्राम स्मैक खरीद कर ले गया था जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था मुझे पता चला था कि उस मुकदमे में मेरा नाम भी है तभी से मैं चोरी छिपे स्मैक बेच रहा था पुलिस मुझे पकड़ने का काफी प्रयास कर रही थी दिनांक 08/05/2025 को जब जुनैद को पुलिस ने पकड़ था तब भी पुलिस मुझे पकड़ने मेरे घर पर गयी थी तब मैं घर से भाग गया था तभी से मैं फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सरफराज उर्फ भूरा पुत्र खुर्शीद नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 20 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 लाख रुपये नगद
- 01 मोबाइल फोन

अभियुक्त सरफराज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 46/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 217/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 339/22 धारा 376डी/506 भादवि व 5जी / 6 पोक्सो अधि0 व 67 आईडी एक्ट थाना नकुड
जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र पाल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 376 सचिन चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 1820 अंकित मान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक -15.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों/जामिनान की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त आयुष चौहान पुत्र विकास चौहान निवासी कन्डैला थाना कोतवाली शामली जिला शामली सम्बन्धित मु0अ0सं0 152/2025 धारा 137 (2) बीएनएस व माननीय न्यायालय जे0एम0 प्रथम सहारनपुर को नानौता चुंगी कस्बा रामपुर मनिहारन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आयुष चौहान पुत्र विकास चौहान निवासी कन्डैला थाना कोतवाली शामली जिला शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 श्रीमती नेहा चौधरी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2025 को चैकिंग / गरस्त के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त वारंटी टीटू पुत्र रामनाथ कश्यप निवासी ग्राम नन्दी फिरोजपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद स0 417/2014 मु0अ0स0 32/2019 धारा 392 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात में ग्राम नन्दी फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

टीटू पुत्र रामनाथ कश्यप निवासी ग्राम नन्दी फिरोजपुर थाना कोदेहात जनपद सहारनपुर 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 515 राहुल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 15.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा देश विरोधी पोस्ट को अपने फोन के फेसबुक पर लगाकर जनता में वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2025 को उ0नि0 आजाद सिंह थाना नकुड़, सहारनपुर की जुबानी तहरीर बाबत अभियुक्त इस्तकार उर्फ भूरा पुत्र मुमताज निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा देश विरोधी पोस्ट को अपने फोन के फेसबुक पर लगाकर शेयर करने पर जनता में वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 149/2025 धारा 196/353 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अपने मोबाइल के फेसबुक पर देश विरोधी पोस्ट लगाकर जनता में वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने वाले अभियुक्त इस्तकार उर्फ भूरा पुत्र मुमताज निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम रणदेवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से देश विरोधी क्रियाकलाप में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इस्तकार उर्फ भूरा पुत्र मुमताज निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन थाना नकुड़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रनबीर शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 301 प्रवीण ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।